26

प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवायें

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0टी0डी0ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के लिये सेवा शर्तों का निर्धारण	सं0 209/XXVII(7)प्र0श0/2006, देहरादून, दिनांक–16 नवम्बर, 2006	57–62
2	वेतन समिति–2008 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता की दरों में संशोधन	सं0 42/XXVII(7)प0वि0म0/2009, देहरादून, दिनांक–13 फरवरी, 2009	63–64
3	विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0टी0डी0ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के लिये प्रतिनियुक्ति भत्ता के संबंध में	सं0 328/XXVII(7)/2009, देहरादून, दिनांक–30 अक्टूबर, 2009	65–66
4	वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते के योग की अधिकतम सीमा में संशोधन	सं0 217/XXVII(7)/2010, देहरादून, दिनांक–04 जनवरी, 2010	67–68

संख्या : 209 /XXVII(7)प्र०श०/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त (वे० आ०–सा०नि०) अनुभाग – 7 देहरादून, दिनांक : 16 नवम्बर, 2006

विषयः– विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई०टी०डी०ए० आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत् पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के लिये सेवा शर्तों का निर्धारण।

महोदय,

राज्य सरकार के अधीन विभिन्न निगमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की परियोजनायें संचालित की जा रही है, जोकि पूर्णतः/आंशिक रूप से विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित है। इन परियोजनाओं में राज्य सरकार के कार्मिकों को बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित किया जाता है। शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त परियोजनाओं में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित कार्मिकों की बाह्य सेवा शर्तों के जो पैकेज निर्धारित किये गये है, वे भिन्न–भिन्न है तथा इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के कार्मिकों के किसी निगम/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय अथवा किसी भी स्वायत्तशासी संस्था में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण होने की दशा में उनके लिये निर्धारित वाह्य सेवा की मानक शर्तों के अनुरूप नहीं है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त् यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के कार्मिकों के बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण की दशा में सभी स्थानों पर बाह्य सेवा शर्तें समान होनी चाहिए।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक पोषित एवं बाह्य सहायतित परियोजनाओं में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित होने वाले सरकारी कार्मिकों की सेवा शर्तें भी सरकारी कार्मिकों के किसी निगम/सार्वजनिक उपकम/स्थानीय निकाय अथवा किसी भी स्वायत्तशासी संस्था में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण की मानक शर्तों (प्रारूप संलग्न) के अनुरूप होगी। पूर्व में यदि भिन्न शर्ते स्वीकृत की गई हैं तो वे उपरोक्तानुसार संशोधित मानी जायेगी, किन्तु विभिन्न विभागों द्वारा इसप्रकार की परियोजनायें चलाये जाने की दशा में इन परियोजनाओं में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनात कार्मिकों पर संलग्न बाह्य सेवा की मानक शर्तें लागू नहीं होगी तथा उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन परियोजना भत्ता उन्हीं दरों पर अनुमन्य होगा, जिन दरों पर बाह्य सेवा की स्थिति में प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य होता हैः–

(i) सेवा स्थानान्तरण पर चयन विधिवत् किसी चयन समिति के माध्यम से हुआ हो।

(ii) परियोजना के सुस्पष्ट निश्चित उद्देश्य हो तथा जिन्हें निश्चित अवधि में पूर्ण किया जाना अपेक्षित हो।

4. यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या 209 /XXVII(7)/2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
4. सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय।
5. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय।
6. सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तरांचल।
7. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(टी० एन० सिंह)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या– 209/ XXVII(7)प्र0श0/2006 तद्दिनांक– 16 नवम्बर, 2006 का संलग्नक

1. **नियुक्ति/पदस्थापन** –

निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है–

विभिन्न पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी तथा प्रतिनियुक्ति हेतु उपयुक्तता के सिद्धान्त के आधार पर ऐसे कार्मिक भी नियुक्ति के पात्र होंगे, जो स्वीकृत पद के ठीक नीचे के वेतनमान में कार्यरत् हो।

प्रतिनियुक्ति पर आये कार्मिक को यह विकल्प रहेगा कि वह अपना संवर्गीय मूल वेतनमान में मूल वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता ले अथवा नियुक्ति के पद का वेतनमान।

सृजित पदों के वेतनमान से भिन्न वेतनमान के कार्मिकों की नियुक्ति की स्थिति में उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग द्वारा पृथक् से विचार किया जायेगा।

बाह्य सेवा की अवधि में यदि कार्मिक उसी स्टेशन पर रहता है, जहाँ उसकी तैनाती है, तो उन्हें वेतन का 5% परन्तु अधिकतम रू0 500 प्रतिमाह तथा यदि तैनाती स्टेशन से बाहर हो, तो वेतन का 10% परन्तु अधिकतम रू0 1000 प्रतिमाह प्रतिनियुक्त भत्ता इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगा कि मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते की कुल धनराशि का योग किसी भी समय रू0 22,000 प्रतिमाह से अधिक न हो।

2. **महँगाई भत्ता**

सभी पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों को बाह्य सेवा पर महँगाई भत्ता उत्तरांचल सरकार के कार्मिकों को स्वीकृत दरों पर अनुमन्य होगा तथा

नगर प्रतिकर भत्ता/पर्वतीय प्रतिकर भत्ता संबधित स्टेशन पर समकक्ष स्तर के राज्य सरकार के कार्मिक को स्वीकृत दर पर अनुमन्य होगा।

3. **मकान किराया भत्ता** –

बाह्य सेवा पर मकान किराया भत्ता ऐसे कार्मिकों को अनुमन्य होगा, जिन्हें पी0एम0यू0/आई0टी0डी0ए0/पैतृक विभाग/प्रोजेक्ट प्रकोष्ठों तथा सरकार द्वारा आवास उपलब्ध नही कराया गया है। यह भत्ता ऐसे योग्य कार्मिकों को निर्धारित प्रारूप में संलग्नक – 1 पर 2 प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार द्वारा देय दर के दोगुने अथवा वास्तविक किराया जो भी कम हो, अनुमन्य होगा।

4. **परियोजना भत्ता** –

बाह्य सहायतित परियोजनाओं आदि में नियुक्त कार्मिकों को निम्नवत् मासिक परियोजना भत्ता अनुमन्य होगा –

क्र0सं0	कार्मिकों की श्रेणी	अनुमन्य मासिक भत्ता
I	ऐसे कार्मिक, जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 4500 प्रतिमाह तक है।	रू0 600
II	ऐसे कार्मिक, जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 4501 से रू0 7999 प्रतिमाह तक है।	रू0 800
III	ऐसे कार्मिक, जिनके वेतनमान सीमा का अधिकतम रू0 8000 से रू0 15199 तक है।	रू0 1200
IV	ऐसे कार्मिक, जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 15200 प्रतिमाह या इससे अधिक है।	रू0 1500

5. **चिकित्सा सुविधा –**

बाह्य सेवा में कार्यरत् पूर्णकालिक कार्मिकों को प्रतिवर्ष एक माह की परिलब्धियों (मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता) की सीमा तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सक्षम सरकारी चिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित उपचार पर बाउचर प्रस्तुत करने पर देय होगी, किन्तु

किसी भी कार्मिक को बाह्य सेवायोजक द्वारा चिकित्सीय भत्ता देय नही होगा । सरकारी कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति पर है उन्हें पूर्व से अनुमन्य चिकित्सा सुविधा से कम सुविधा उपलब्ध नही होगी।

6. **यात्रा भत्ता –**

पी0एम0यू0/प्रोजेक्ट सेल आदि में कार्यरत् अधिकारियों को प्रोजेक्ट कार्य हेतु की गई यात्राओं के लिये निम्नवत् यात्रा/दैनिक भत्ता देय होगा – राज्य सरकार के समकक्ष वेतनमान के कार्मिकों के समान नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

राज्य के भीतर की गई यात्रा के दौरान ठहरने के लिये सरकारी व्यवस्था/विभागीय व्यवस्था उपलब्ध न होने पर गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल विकास निगम के आवास गृहों में तद्समय प्रचलित दैनिक दरों की सीमा तक बाउचर प्रस्तुत करने पर ठहरने की अनुमति होगी और तदनुसार ही धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

प्रदेश के बाहर परियोजना कार्य हेतु की गई यात्राओं के लिये राज्य सरकार के पूर्णकालिक कार्मिकों को अनुमन्य दर से दुगुनी दर पर दैनिक भत्ता, रसीद प्रस्तुत करने पर उक्त सीमा तक ही अनुमन्य होगा। विशिष्ठ परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय ले सकते है।

7. **दूरभाष सुविधा –**

- वेतनमान रू0 10000–15200 या उससे उच्चतर वेतनमान के कार्मिकों को आवासीय दूरभाष की सुविधा अनुमन्य होगी। अन्य किसी विशिष्ट परिस्थिति में आवासीय दूरभाष उपलब्ध कराने हेतु विभागीय सचिव एवं वित्त विभाग का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। परियोजना के कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा आवश्यकता का विवरण स्पष्ट होने पर संचालन मंडल के निर्णयों के क्रम में सीमित फोन भत्ता (मोबाइल फोन भी शामिल) दिया जा सकता है।

8. <u>अवकाश यात्रा सुविधा</u> –

अवकाश यात्रा सुविधा वर्ष में एक बार संबंधित वर्ष की एक माह की परिलब्धियों (मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता) की सीमा तक अनुमन्य होगी, बशर्ते कार्मिक व उसके परिवार द्वारा वास्तव में यात्रा करते हुए न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश लिया गया हो तथा यात्रा टिकट प्रस्तुत किए गये हो, जिस वर्ष अवकाश यात्रा सुविधा स्वीकृत की जायेगी उस वर्ष अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नही होगी।

9. <u>व्ययों की प्रतिपूर्ति (समाचार पत्र)</u> –

वेतनमान रू0 10000–15200 या उससे उच्चतर वेतनमान में कार्यरत् कार्मिकों को बिल बाउचर प्रस्तुत करने पर समाचार पत्र/पत्रिकाओं के क्रय हेतु रू0 200.00 प्रतिमाह की सीमा तक प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

10. <u>अन्य</u> –

उक्त शर्तों में कार्मिक से तात्पर्य उत्तरांचल ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना के अधीन गठित राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट कोर्डिनेशन यूनिट (पी0एम0यू0)/ इनफोरमेशन टेक्नालॉजी डेवलपमेंट एजेंसी (आई0टी0डी0ए0)/विश्व बैंक पोषित परियोजनाओं/प्रोजेक्ट सैलों में कार्यरत् कर्मचारियों/अधिकारियों से है।

(ii) उक्त प्रोजेक्ट प्रकोष्ठों में कार्यरत् कार्मिकों की अन्य सेवा शर्तें उत्तरांचल शासन/राज्य स्तरीय प्रबन्धन इकाई एवं निर्धारित सक्षम प्राधिकारी/प्रक्रिया द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होगी।

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव,

संख्याः ५२/xxvii(7)प0वि0भ0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः 13फरवरी,2009

विषयः–वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता की दरों में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः–जी–1–1753/दस–534(46)–76 दिनांक 31 अगस्त,1978तथा इसके कम में समय–समय पर संशोधित शासनादेशों के द्वारा सार्वजनिक उपकमों, निगमों आदि में सरकारी सेवकों एवं शासनादेश संख्याः 209/xxvii(7)/2009 दिनांक 16 नवम्बर,2006 के द्वारा विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0टी0डी0ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के लिए सेवा शर्तो का निधारण किया गया है।

2–वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप निर्गत शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के कम में सार्वजनिक उपकमों, निगमों आदि एवं विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0 टी0 डी0 ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के दिनांक 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में यदि उसी स्टेशन पर तैनाती होती है तो प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड के सादृश्य अनुमन्य ग्रेड–पे के 10 प्रतिशत के बराबर तथा यदि स्टेशन के बाहर तैनाती होती है तो ग्रेड–पे के 20 प्रतिशत के बराबर इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, कि वेतन बैण्ड में वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ते का योग रू0 39,100 से अधिक नहीं होगा,

3–उपरिउल्लिखित शासनादेश 31 अगस्त,1978 तथा इसके क्रम में समय–समय पर संशोधित शासनादेश एवं दिनांक 16 नवम्बर,2006 शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएगें ।

4–यह आदेश 1अप्रैल,2009 से लागू लागू होगें ।

5–अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या: ५२ (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या328/xxvii(7)/2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक30 अक्टूबर,2009

विषय:– विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0टी0डी0ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत् पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति भत्ता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 243/उन्तीस(1)/08–(01पे0)/2001 दिनांक 4–3–2008 स्वजल परियोजना के द्वितीय चरण के लिये पात्रता के संबंध में जारी हुआ है जिसमें उक्त विभाग में संवर्गीय मूल पद से बाह्य सेवा में आने पर दो स्तर उच्च वेतनमान का लाभ अनुमन्य किया गया है जो कि वित्त विभाग के शासनादेश सं0 209/xxvii(7) प्र0शा0/2006 दिनांक 16 नवम्बर,2006 द्वारा जारी मानक से इतर है फलस्वरूप इससे इस प्रकार की अन्य परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में विसंगति हो गयी है।

2– इस संबंध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में स्वजल परियोजना के उक्त शासनादेश दिनांक 4–3–2009 में बाह्य सेवा पर नियुक्ति की पात्रता वित्त विभाग के मानक शासनादेश दिनांक 16 नवम्बर,2006 के अनुरूप एक वेतनमान/ग्रेड पे के ठीक नीचे के अधिकारी को लिया जाय ताकि किसी भी स्थिति में प्रतिनियुक्ति भत्ता या मात्र एक स्तर उच्च ग्रेड पे का लाभ अनुमन्य हो सके।

यदि किन्ही विभागों में दो स्तर उच्च वेतनमाना में रखे जाने के पद सृजन के शासनादेश निर्गत किये गये हों, संबंधित विभाग उक्त शासनादेश को वित्त विभाग की सहमति से संशोधन का प्रस्ताव अविलम्ब प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेगे।

भवदीय,

(राधा रतूडी)
सचिव,वित्त।

संख्या 228 (1)/XXVII(7)/2009 तददिनॉक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या217/xxvii(7)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक:04जनवरी,2010

विषय:– वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते के योग की अधिकतम सीमा में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान के आलोक में शासनादेश संख्या 42/xxvii(7) प0वि0भ/2009, दिनांक 13 फरवरी,2009 द्वारा सार्वजनिक उपकमों/निगमों तथा विश्व बैंक/ वाह्य सहायतित परियोजनाओं आदि में प्रतिनियुक्ति के आधार पर किसी कार्मिक की उसी स्टेशन पर तैनाती होने पर उसके वेतन बैण्ड के ग्रेड पे के 10 प्रतिशत के बराबर तथा स्टेशन से बाहर तैनाती होने पर ग्रेड पे के 20 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता, इस शर्त के साथ अनुमन्य किया गया है कि वेतन बैंड में वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ते का योग रू0 39,100 से अधिक नहीं होगा ।

2– रू08000–13500 से रू0 12000–16500 तक के वेतनमानों को दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित कर पे बैंड–3, रू0 15600–39,100 में कमशः ग्रेड पे रू05400,रू06600 एवं रू0 7600 रखा गया है। सामान्यत राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति उच्च वेतनमान के पदों पर होती है। इसी कारण विश्व बैंक पोषित/वाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0 टी0 डी0 ए0 आदि में वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अर्न्तगत कार्यरत पूर्णकालिक कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति की शर्तों के मानक शासनादेश संख्या 209 /xxvii (7) प्र0शा0 /2006, दिनांक 16 नवम्बर, 2006, (प्रतिलिपि संलग्न) के संलग्नक के प्रस्तर–1 में कार्मिक के प्रतिनियुक्ति पर जाने पर मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते के योग का अधिकतम पूर्व वेतनमान में रू0 22,000 प्रतिमाह रखा गया। रू0 22,000 की उक्त अधिकतम सीमा अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 18400– 22400 के अधिकतम से कुछ कम है, जबकि दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों में रू0 18400–22400 के वेतनमान को वेतन बैंड रू0 37400–67000 में रू0 10,000 के ग्रेड पे में रखा गया है जिसका अधिकतम रू0 67000 है।

3– अतः उच्चतर वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर जाने पर कोई आर्थिक हानि न हो, इसके दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया हैं, कि सरकारी सेवक के प्रतिनियुक्ति पर जाने पर वेतन बैंड में वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते की अधिकतम सीमा रू0 39,100 के स्थान पर रू0 67,000 होगी।

यह आदेश दिनांक 01 अप्रैल,2009 से लागू होगा।

शासनादेश संख्या 42/XXVII(7) प0वि0भ/2009, दिनांक 13 फरवरी,2009 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा तथा इसकी अन्य शर्तें यथावत् लागू

क: यथोपरि

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

217 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनॉक

पि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव।